

सभ्रांत नागरिकगण को पालिका की तरफ से सूचना दी जाती है कि 31 मार्च 2025 तक अपने भवन के गृहकर—जलकर के भुगतान न किए जाने की दशा में 10 प्रतिशत ब्याज लगाए जाने का प्राविधान शासन द्वारा निर्धारित है, सभी सम्मानित नागरिकगण से अनुरोध है कि समयावधि के अन्दर गृहकर—जलकर का भुगतान कर ब्याज से बचें।

धन्यवाद!

अधिशायी अधिकारी

नगर पालिका परिषद, मीरजापुर।